संख्या– 341 /भा.विवि/कुसका/2024 दिनांक : 10 मार्च, 2024

कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 10 मार्च, 2024 को प्रातः 11:00 बजे आचार्य नरेन्द्र देव प्रशासनिक भवन स्थित सभागार कक्ष में कार्यपरिषद् की आकस्मिक बैठक की कार्यवाही :–

बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो0 एन0बी0 सिंह, मा0 कुलपति	अध्यक्ष
2.	माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार ओझा (से.नि.), निवास 3/494, विकल्प खण्ड गोमती नगर, लखनऊ–226010	न्यायिक सदस्य
3.	प्रो0 जय शंकर प्रसाद पाण्डेय, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, बप्पा श्री नारायन वोकेशनल पी0जी0 कॉलेज (के0के0वी0), चारबाग, लखनऊ।	सदस्य
4.	प्रो0 ललिता राव, सेवानिवृत्त–बी0एड0 विभाग, उदय प्रताप स्वायत्तशासी पी0जी0 कॉलेज, वाराणसी।	सदस्य
5.	प्रो0 सुधांशु पांड्या, डीन एवं डायरेक्टर–स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, स्कूल सी0एस0जे0एम0 यूनिवर्सिटी, कानपुर।	सदस्य
6.	प्रो0 मसऊद आलम, संकायाध्यक्ष–कला एवं मानविकी	सदस्य
7.	प्रो0 एहतेशाम अहमद, आचार्य–वाणिज्य, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
8.	प्रो0 सौबान सईद, आचार्य–उर्दू, सदस्य–अन्य पिछड़ा वर्ग	सदस्य
9.	प्रो0 एस0एस0ए0 अशरफी, आचार्य–उर्दू विभाग।	सदस्य
10.	डॉ0 मोहम्मद शारिक, सहायक आचार्य–शारीरिक शिक्षा विभाग	सदस्य
11.	डॉ0 अताउर्रहमान आज़मी, सहायक आचार्य–व्यवसाय प्रशासन विभाग	सदस्य
12.	श्री साजिद आज़मी, वित्त अधिकारी	विशिष्ट आमंत्री
13.	डॉ0 भावना मिश्रा, कुलसचिव	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा कार्य परिषद् की बैठक में उपस्थित सदस्यों का स्वागत किया गया एवं माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही आरम्भ की गयी।

कार्य परिषद् द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची पर निम्नांकित निर्णय लिये गये:–

बिन्दु संख्या–1 : अनुशासनिक समिति द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट एवं सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार।

निर्णय : कुलपति द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा अनुशासनिक समिति की जॉच में सदस्य के रूप में कार्य किया गया है एवं जॉच आख्या हस्ताक्षरित की गयी है, अतएव अध्यक्ष, कार्यपरिषद के रूप में उनके द्वारा चर्चा एवं निर्णय में प्रतिभाग किया जाना नैतिक एवं विधिक रूप से उचित नहीं होगा। अतः उनके द्वारा इस बिन्दु के लिए स्वयं को कार्यपरिषद की अध्यक्षता एवं चर्चा से विरत किया गया। इस हेतु प्रो0 सुधांशु पांड्या, सदस्य कार्यपरिषद को संदर्भित बिन्दु पर अध्यक्षता करने के लिए प्रस्तावित किया गया। उक्त प्रस्ताव को माननीय कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति

से स्वीकार किया गया। तदोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा अनुशासनिक समिति की जॉच रिपोर्ट एवं शिक्षकों से प्राप्त अभ्यावेदन पर लिए गए निर्णय सम्बन्धी विस्तृत विवरण अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

बिन्दु संख्या–2 : प्रो0 माहरूख मिर्जा द्वारा दिनांक 09.03.2024 को कुलसचिव, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ को सम्बोधित पत्र पर विचार।

निर्णय : कुलसचिव द्वारा माननीय कार्यपरिषद के सदस्यों को प्रो0 माहरूख मिर्जा द्वारा दिनांक 09.03.2024 को प्रेषित पत्र पढ़कर सुनाया गया। सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से पत्र में किये गये अनुरोध को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया। अग्रेत्तर पत्र में संलग्नक के रूप में माननीय कुलाधिपति महोदया, राजभवन, लखनऊ को प्रेषित पत्र के सम्बन्ध में भी यह निर्णय लिया गया कि संदर्भित पत्र पर माननीय कुलाधिपति महोदया के स्तर से निर्णय लिया जाना है, कार्यपरिषद के स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है, अतः इस पत्र को सम्बन्धित पत्रावली में संरक्षित किये जाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–3 : डॉ0 तत्हीर फात्मा द्वारा कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 के बिन्दु संख्या–32.13 के सम्बन्ध में कुलसचिव, ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ को सम्बोधित पत्र दिनांक 09.03.2024 पर विचार।

निर्णय : कुलसचिव द्वारा माननीय कार्यपरिषद के सदस्यों को डॉ0 तत्हीर फात्मा का पत्र दिनांक 09.03.2024 को पढ़कर सुनाया गया। पत्र में प्रयोग की गयी भाषा "सहमत नहीं हूँ" पर माननीय सदस्यों द्वारा रोष व्यक्त किया गया। चूंकि कार्यपरिषद नियमानुसार अपने द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है, अतः डॉ0 तत्हीर फात्मा के सम्बन्ध में दिनांक 02.03.2024 की कार्यपरिषद के मद संख्या–32.13 में लिए गए निर्णय को यथावत् रखने का निर्णय लिया गया।

माननीय कुलपति महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु :–

अन्य बिन्दु संख्या–1 : डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग के बी0ए0 के अंकपत्र की वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर से प्राप्त सत्यापन आख्या पर विचार।

निर्णय : कुलसचिव द्वारा प्राप्त आख्या से परिषद को अवगत कराया गया कि डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना द्वारा नियुक्ति के समय प्रस्तुत अंकपत्र से सत्यापन आख्या में अंकित अंक भिन्न हैं, जिसपर सम्यक् विचारोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिया गया–

"चूंकि बिन्दु संख्या–1 पर लिए गए निर्णय के क्रम में डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना को सेवा से पदच्युत (dismissal from service) करते हुए प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज कराने का निर्णय लिया जा चुका है, अतः संदर्भित पत्र को पत्रावलित किया जाए।"

अन्य बिन्दु संख्या–2 : डॉ0 तत्हीर फात्मा के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 के बिन्दु संख्या–32.13 में लिये गये निर्णय के क्रम में कुलसचिव द्वारा डॉ0 तत्हीर

फात्मा को अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित रहने तक कार्यपरिषद की कार्यवाही में प्रतिषिद्ध किये जाने हेतु प्रेषित कार्यालय आदेश का संसूचन।

निर्णय : डॉ0 तत्हीर फात्मा के सम्बन्ध में कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 02 मार्च, 2024 के बिन्दु संख्या–32.13 में लिये गये निर्णय के क्रम में कुलसचिव द्वारा डॉ0 तत्हीर फात्मा को अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित रहने तक कार्यपरिषद की कार्यवाही में प्रतिषिद्ध किये जाने हेतु प्रेषित कार्यालय आदेश से सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त करते हुए परिषद संसूचित हुई।

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

Bmisha

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव/सचिव

(प्रो0 एन0बी0 सिंह)
कुलपति, अध्यक्ष

अनुलग्नक–1

कुलपति के स्थान पर प्रो0 सुधांशु पाण्ड्या, सदस्य कार्यपरिषद की अध्यक्षता में सम्पन्न कार्य परिषद् की आकस्मिक बैठक दिनांक 10.03.2024 के बिन्दु संख्या–1 से सम्बन्धित कार्यवृत्त

बिन्दु संख्या–1 : अनुशासनिक समिति द्वारा की गयी जॉच रिपोर्ट एवं सम्बन्धित शिक्षकों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों पर विचार।

निर्णय : प्रो0 सुधाशु पांड्या की अध्यक्षता में संदर्भित बिन्दु पर सम्यक् विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निम्नवत् निर्णय लिए गए–

क्र0	शिक्षकों का नाम	विवरण	निर्णय
1.	प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी, आचार्य, इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग (संविदा शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि प्रो0 संजीव कुमार त्रिवेदी सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते हैं।	सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।
2.	डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी, सह आचार्य, गणित विभाग (संविदा शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्र में अस्पष्टता है।	अनुभव के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रमाण–पत्रों का सम्बन्धित संस्था से सत्यापन कराये जाने एवं प्राप्त सत्यापन आख्या के साथ प्रकरण आगामी कार्यपरिषद में प्रस्तुत किये जाने का निर्णय लिया गया।
3.	डॉ0 ममता शुक्ला, सह आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (संविदा शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 ममता शुक्ला सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करती हैं।	सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।
4.	डॉ0 मानवेन्द्र सिंह, सहायक आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (संविदा शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 मानवेन्द्र सिंह सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते हैं।	सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।
5.	डॉ0 नदीम अहमद	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच	सेवा से हटाने

Srisha

	अंसारी, सहायक आचार्य, बायोटेक्नोलॉजी विभाग (संविदा शिक्षक)	आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 नदीम अहमद अंसारी सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते हैं।	(removal from service) का निर्णय लिया गया।
6.	डॉ0 सुमन कुमार मिश्रा, सहायक आचार्य, कम्प्यूटर साइंस एण्ड इंजीनियरिंग (संविदा शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 सुमन कुमार मिश्रा ए0आई0सी0टी0ई0 नोटिफिकेशन दिनांक 09 जून 2016 एवं ए0आई0सी0 टी0ई0 नोटिफिकेशन दिनांक 01 मार्च, 2019 में विहित प्राविधानानुसार सम्बन्धित पद हेतु अर्ह हैं।	दोषमुक्त करते हुए सेवा में बने रहने (continue in service) का निर्णय लिया गया।
7.	डॉ0 शावेज अली सिद्दीकी, सहायक आचार्य, गणित विभाग (संविदा शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 शावेज अली सिद्दीकी भर्ती के समय अर्ह थे। तत्समय उनके द्वारा नेट से छूट का प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था। बाद में अनुशासनिक समिति के समक्ष नेट से छूट का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया गया।	दोषमुक्त करते हुए सेवा में बने रहने (continue in service) का निर्णय लिया गया।
8.	श्रीमती निधि सोनकर, सहायक आचार्य, मैनेजमेन्ट विभाग (संविदा शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि श्रीमती निधि सोनकर सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करती हैं।	सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।
9.	डॉ0 प्रवीण कुमार राय, सह आचार्य, भूगोल विभाग (नियमित शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 प्रवीण कुमार राय सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम अर्हता पूरी नहीं करते हैं।	सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।
10.	डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी, सह आचार्य, उर्दू विभाग (नियमित शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 जमाल शब्बीर रिज़वी सम्बन्धित पद हेतु न्यूनतम	सेवा से हटाने (removal from service) का निर्णय लिया गया।

		अर्हता पूरी नहीं करते हैं।	
11.	डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना, सहायक आचार्य, राजनीतिशास्त्र विभाग (नियमित शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 ताबिन्दा सुल्ताना सम्बन्धित पद पर नियुक्ति हेतु परास्नातक का कूटरचित अंकपत्र प्रस्तुत किया जोकि एक गम्भीर प्रकृति का कृत्य है।	सेवा से पदच्युत (dismissal from service) करते हुए प्राथमिकी (F.I.R.) दर्ज कराने का निर्णय लिया गया।
12.	डॉ0 लक्ष्मण सिंह, सहायक आचार्य, इतिहास विभाग (नियमित शिक्षक)	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 लक्ष्मण सिंह भर्ती के समय अर्ह थे। तत्समय उनके द्वारा नेट से छूट का प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था। बाद में अनुशासनिक समिति के समक्ष नेट से छूट का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया गया।	दोषमुक्त करते हुए सेवा में बने रहने (continue in service) का निर्णय लिया गया।
13.	डॉ0 उधम सिंह, सहायक आचार्य, अर्थशास्त्र विभाग	अनुशासनिक समिति द्वारा प्रस्तुत जॉच आख्या एवं तद्क्रम में प्राप्त अभ्यावेदन पर विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि डॉ0 उधम सिंह भर्ती के समय अर्ह थे। तत्समय उनके द्वारा नेट से छूट का प्रमाण–पत्र उपलब्ध नहीं कराया गया था। बाद में अनुशासनिक समिति के समक्ष नेट से छूट का प्रमाण–पत्र उपलब्ध करा दिया गया।	दोषमुक्त करते हुए सेवा में बने रहने (continue in service) का निर्णय लिया गया।
14.	प्रो0 माहरूख मिर्जा, आचार्य, वाणिज्य विभाग	कुलसचिव द्वारा अवगत कराया गया कि प्रो0 माहरूख मिर्जा को पूर्व में अभ्यावेदन दिये जाने का 15 दिन का समय दिया गया था, किन्तु उनके द्वारा एक माह से अधिक समय तक अभ्यावदेन न दिये जाने के फलस्वरूप प्रकरण को कार्यपरिषद के समक्ष रखा गया था एवं तत्समय उनको 10 दिन का अतिरिक्त समय प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। प्रो0 मिर्जा को समुचित समय (डेढ़ माह से अधिक की अवधि) एवं पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी अद्यतन अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त से अवगत होते हुए कार्यपरिषद ने अनुशासनिक समिति द्वारा	i. सेवा से पदच्युत (dismissal from service) करने का निर्णय लिया गया। ii. बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज न कराये जाने की अवधि का वेतन अस्वीकृत किया गया।

Anisha

		प्रस्तुत जॉच आख्या पर विस्तृत विचार–विमर्श किया। जॉच आख्या में पाया गया है कि प्रो0 माहरूख मिर्जा ने इस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग के पद पर नियुक्ति के समय प्रस्तुत आवेदन पत्र का अग्रसारण एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र कूटरचित रूप से प्रस्तुत किया था। प्रो0 मिर्जा ने विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्गत आदेश के क्रम में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज न कराकर अवज्ञा की है। साथ ही कुलपति पद पर रहते हुए विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति में उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1973, विश्वविद्यालय परिनियमावली, यू0जी0सी0 रेगुलेशन, ए0आई0सी0टी0ई0 नोटिफिकेशन एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों आदि में विहित प्राविधानों का अनुपालन न करते हुए नियम विरूद्ध भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया सम्पादित कराई गयी है। अनुशासनिक समिति की जॉच आख्या में इंगित अन्य बिन्दुओं एवं तत्सम्बन्धी निष्कर्षों को भी संज्ञान में लिया गया। विस्तृत विचारोपरान्त कार्यपरिषद द्वारा पाया गया कि प्रो0 माहरूख मिर्जा द्वारा कर्तव्य की जान–बूझकर उपेक्षा (wilful neglect of duty) की गयी है एवं वह अवचार (misconduct) एवं लोकापवादयुक्त आचरण व नैतिक दृष्टि से अधम अपराध के दोषसिद्धि (scandalous conduct or conviction for an offence involving moral turpitude) में संलिप्त पाये गये हैं।	

(डॉ0 भावना मिश्रा)
कुलसचिव / सचिव

10/03/24
(प्रो0 सुधांशु पाईया)
सदस्य कार्यपरिषद, अध्यक्ष